

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961  
(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 21 ग  
(नियम 64 देखिए)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा  
151-खेरवाड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि

श्री दयाराम परमार,

गाँव - नला, कनबई चक नं. 1,

तहसील - खेरवाड़ा, जिला - उदयपुर (राज.)

इंडियन नेशनल काँग्रेस (रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक पार्टी का नाम)

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान: उदयपुर

दिनांक: 11 दिसम्बर 2018



(विनोद कुमार)  
रिटर्निंग अधिकारी  
(एस.डी.एम) 151- खेरवाड़ा  
विधानसभा क्षेत्र 151-खेरवाड़ा (अजजा)  
(उपसभ्य अधिकारी एवं उपसभ्य मजिस्ट्रेट खेरवाड़ा)

FORM 21C  
(See rule 64)  
(For use in General Election when seat is contested)

**Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.**

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from 151- KHERWARA Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

DAYARAM PARMAR  
Village - Nala, Kanbai Chak No. - 1,  
Tehsil - Kherwara, District - Udaipur(Raj.)

sponsored by Indian National Congress (name of the recognized/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Udaipur

Date : 11 Dec 2018



( VINOD KUMAR )  
Returning Officer  
151-KHERWARA Assembly Constituency  
(S.D.M) KHERWARA  
विधानसभा क्षेत्र 151-खेरवाड़ा (अजंठा)  
(उपसभ अधिकारी एवं जमतान्ड मजिस्ट्रेट) खेरवाड़ा